

# माता भगवती देवी

आँवलखेडा, आगरा



प्रवेश विवरणिका : 2026 - 27



Website : [www.mbdggdcanwalkheraagra.ac.in](http://www.mbdggdcanwalkheraagra.ac.in)  
Email Id : [principalggdcanwalkhera@gmail.com](mailto:principalggdcanwalkhera@gmail.com)

## महाविद्यालय की स्थापना (ऐतिहासिक विवेचन)

अपूर्णताओं से भरे संसार में पूर्णता का पर्याय मानसिक दक्षता है और इस दक्षता का सीधा सम्बन्ध शिक्षा से है। शिक्षा से असाधारण उत्कृष्टता, सभ्यता तथा उन्नति के शिखर प्राप्त किये जा सकते हैं। अच्छी तरह से सुशिक्षित और प्रवीण मन ही दुनियां में सबसे अधिक उपयोगी सम्पत्ति है। ऐसे ही मानवीय विचारों के अक्षय पुंज, विद्यानुरागी, मर्मज्ञ मनीषी, समय के पारखी अपनी योग्यता और विद्वता से भारतीय गुरु परम्परा में सम्मानीय स्थान प्राप्त करने वाले आचार्य पं० श्रीराम शर्मा जी की यही वह पवित्र पुण्य भूमि है जहाँ पर गुरु आचार्य ने जन्म लिया और उन्होंने उत्तरोत्तर समाजोपयोगी कार्यों की श्रृंखला में एक अक्षय ऐतिहासिक शैक्षिक संकल्प के साथ आँवलखेड़ा की आंचालिक जन्म भूमि में अगस्त 1996 में राजकीय महिला महाविद्यालय हेतु 6.24 एकड़ भूमि उ०प्र० शासन को दान स्वरूप प्रदत्त कर इक्कीसवीं सदी नारी सदी होगी अपने इस वाक्यांश को सार्थक कर दिया।

समय सदा करवट बदलता है, हर काली रात के बाद प्रातः काल की प्रभा मुस्कराती है और यही मुस्कराहट ग्रामीण अंचल की अनेकानेक बालिकाओं के मुखमण्डल पर शिक्षा सुरभि के रूप में आच्छादित हो रही है। महाविद्यालय को शासन द्वारा सत्र 1996-97 से हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, संस्कृत व गृह विज्ञान विषयों में स्नातक स्तर पर अध्ययन-अध्यापन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

दान स्वरूप प्रदत्त भूमि पर जल निगम उ० प्र० द्वारा जून 2000 में छः व्याख्यान कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, गृह विज्ञान प्रयोगशाला, एन०एस०एस० कक्ष के साथ महाविद्यालय भवन निर्मित कर दिया गया। इस नव निर्मित महाविद्यालय भवन का लोकार्पण 15-10-2000 को उ०प्र० के तत्कालीन उ०शि०, बाद नियन्त्रण, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई मंत्री श्री ओम प्रकाश सिंह जी के कर कमलों द्वारा डॉ० आर० के० बसलस, शिक्षा निदेशक के संयोजकत्व में सम्पन्न हुआ और इसी समारोह में माननीय मंत्री जी ने महाविद्यालय का नाम माता भगवती देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, आँवलखेड़ा (आगरा) करने की घोषणा कर वन्दनीया माता जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की।

तत्पश्चात् भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अर्न्तगत महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रथक ब्लाक-सत्र 2018-19 में बनना प्रारम्भ हुआ। दिनांक 27-7-18 को डॉ० बी. आर. आम्बेडकर वि. वि. आगरा ने स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन हेतु दो विषयों अर्थशास्त्र तथा अंग्रेजी में कक्षाएँ संचालित करने हेतु सम्बद्धता को संस्तुति प्रदान कर दी। सत्र 2022-23 से 04 अन्य विषयों यथा हिन्दी, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान में परास्नातक कक्षाओं हेतु भी डॉ० बी. आर. आम्बेडकर विश्व विद्यालय आगरा द्वारा सम्बद्धता प्रदान कर दी गई है अतः इस वर्ष महाविद्यालय में 06 विषयों में परास्नातक कक्षाएँ संचालित होगी। इस प्रकार महाविद्यालय निरन्तर प्रगति पथ पर अग्रसर है।

### महाविद्यालय के उद्देश्य

महाविद्यालय का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बहुमुखी विकास की ओर अग्रसर करना है। इसी के साथ उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सके, ऐसे स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण का निर्माण करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय-समय पर खेलकूद, अन्य शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ भी संचालित की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं के शैक्षिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के साथ-साथ अनुशासन, सदाचार एवं सद्व्यवहार की शिक्षा देने हेतु महाविद्यालय द्वारा संकल्पबद्ध है। इसके साथ ही महाविद्यालय का उद्देश्य छात्राओं को समाज के लिए उपयोगी बनाना है। अनैतिकता की ही पराकाष्ठा का नाम हिंसा है अतएव यह नितान्त आवश्यक है कि महाविद्यालय में शिक्षा के द्वारा छात्राएँ नैतिकता की व्यावहारिक आध्यात्मिक शक्ति 'सत्यं शिवं सुन्दरं' से ओत प्रोत होकर विभिन्न आयामों द्वारा राष्ट्र को सुदृढ़, अहिंसक एवं प्रतिभा सम्पन्न बनाकर गौरवान्वित कर सकें।

महाविद्यालय का शाश्वत प्रयास रहेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न, प्राचार्य, शिक्षक, कर्मचारी एवं सभी छात्राओं को उनकी क्षमताओं के अनुसार ऐसा सहयोग व उचित मार्गदर्शन दें जिससे प्रेरणा प्राप्त कर वे शैक्षिक पथ पर अग्रसर हो सकें और महाविद्यालय के अनुशासित, सर्वतोन्मुखी वातावरण में छात्राएँ स्वयं यह अनुभव करें -

"हमें पहुँचना उस मंजिल पर  
जिसके आगे राह नहीं।।"

### निर्देश

1. विवरण पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन प्रवेश आवेदन-पत्र भरे।
2. प्रवेश के पश्चात् विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रवेश के समय छात्रा को वे ही विषय स्वीकृत किये जायेंगे जिनको कि प्राचार्य एवं प्रवेश समिति उचित समझे एवं जिसमें स्थान उपलब्ध हों।
3. असत्य सूचनार्ये देने पर प्रवेश कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

4. प्रवेश हो जाने के बाद कभी भी छात्रा का आचरण असन्तोषजनक पाये जाने पर उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

### ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (Online Application Process)

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु डॉ भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का पंजीकरण, विश्वविद्यालय वेबसाइट [dbrau.org.in](http://dbrau.org.in) पर होना अनिवार्य है। इससे अभ्यर्थी को **पंजीकरण संख्या (SRN Number)** मिलेगा जिसको फॉर्म में भरना अनिवार्य होगा। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। किसी अन्य विश्वविद्यालय के पंजीकरण से इस महाविद्यालय में प्रवेश संभव नहीं है।

### 2026-2027 में बी.ए प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश की प्रक्रिया निम्नवत रहेगी –

2. समर्थ रजिस्ट्रेशन 2. समर्थ आई डी से लोग इन 3. प्रोफाइल बनाना |
3. अन्य विवरण / निजी जानकारी / फोटो / हस्ताक्षर अपलोड करे |
4. पाठ्यक्रम बी ए / एम ए का महाविद्यालय का नाम / विषय का चयन करना
5. भुगतान करना |
6. फॉर्म प्रिंट करना | (इस फॉर्म पर समर्थ नंबर अंकित होगा |
7. उक्त फॉर्म के साथ महाविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना |
8. महाविद्यालय का प्रवेश फॉर्म पूर्व की भांती भर कर सभी बांधित अंक पत्र / सर्टिफिकेट के साथ कॉलेज कॉपी महाविद्यालय में जमा करना , कॉपी सुरक्षित रखना |
9. महाविद्यालय में काउंसलिंग की तिथि की जानकारी छात्र / छात्रा के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बाद में प्रेषित की जाएगी
10. काउंसलिंग में सभी मूल प्रमाण पत्र लेकर उपस्थिति होना है |

## 2. बी ए प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर

1. बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में चयनित दो मेजर विषय एवं किसी एक सेमेस्टर में माइनर विषय का चयन किया जाना है।
2. वोकेशनल कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम—प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर) का अध्ययन किया जाना है।
3. Co-Curricular Course प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाना है।

## 3. बी०ए० तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर

1. बी०ए० तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में दो मेजर विषय एवं एक सेमेस्टर में माइनर विषय का अध्ययन किया जाना है।
2. बी०ए० तृतीय सेमेस्टर में वोकेशनल कोर्स पाठ्यक्रम का अध्ययन किया जाना है। चतुर्थ सेमेस्टर में नहीं।
3. Co-Curricular Course (विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित) का अध्ययन तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में किया जाना है।
4. बी०ए० चतुर्थ सेमेस्टर में छात्रा अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन (03) क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगी।

## 4. बी०ए० तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर

1. बी०ए० पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में दो मेजर विषयों का अध्ययन किया जाना है।
5. प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक मानद, स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिसशिप एम्बेडेड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

**नोट –** चतुर्थ वर्ष अर्थात् सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर हेतु पुनः महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

या

विद्यार्थी ग्रेजुएट की डिग्री के साथ 2 वर्ष के परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है तथा परास्नातक डिग्री कर सकता है। जहाँ उसे सप्तम सेमेस्टर में तथा नवम सेमेस्टर में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

या

चार वर्षीय ग्रेजुएशन मानद / रिसर्च सहित मानद डिग्री सहित विद्यार्थी एक वर्ष के परास्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है तथा परास्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

6. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्रा की **APAAR / ABC ID** होना अनिवार्य है।

7. सर्वप्रथम Registration Fee Payment पर क्लिक करें और Course Type, Course, Year, Name, Father's Name, Mother's Name, Date of Birth और Mobile Number भर कर अपना चालान रजिस्ट्रेशन फीस जमा करें।

8. फीस जमा करने के बाद आपको Transaction ID मिलेगा। इस Transaction ID को सुरक्षित रखें।

9. Transaction ID मिलने के बाद Apply Online पर क्लिक करें।

10. Transaction ID और Mobile Number भरकर लॉगिन Continue पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा।

11. अपना WRN Number, Personal Details, Academic Details, Weightage Claimed, आदि भरें तथा Photo और Signature अपलोड करने के बाद अपना ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट कर दें।

12. आवेदन पत्र प्रिंट करे और छात्रा की कॉपी अपने पास सुरक्षित रखें तथा कॉलेज कॉपी पर समस्त वांछित अंकपत्रों और प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ तत्काल महाविद्यालय में जमा कर दें।

13. आवेदन पत्र की कॉलेज कॉपी जमा न करने पर प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. मेरिट लिस्ट में नाम आने पर प्रवेश की आगे की प्रक्रिया हेतु काउंसिलिंग की निर्धारित तिथि और समय पर वेरीफिकेशन हेतु सभी मूल अंकपत्रों और प्रमाणपत्रों की मूल प्रति भी साथ लेकर आएँ।

### प्रवेश कार्यक्रम (Schedule of Admission)

1. आनलाइन आवेदन की प्रारम्भ तिथि	15/05/2026
2. आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	
3. सूची निर्गत करने की तिथि	- बाद में घोषित की जाएगी - अभ्यर्थी महाविद्यालय की वेबसाइट
4. प्रवेश / काउंसिलिंग की तिथि	<a href="http://www.mbdggdcanwalkheraagra.ac.in">www.mbdggdcanwalkheraagra.ac.in</a> का अवलोकन करते रहें।

### पाठ्यक्रम विषय चयन एवं प्रवेश नियमावली

#### कला स्नातक (बी०ए०) डिग्री पाठ्यक्रम

1. मुख्य (मेजर) विषय 1 - 6 क्रेडिट
2. मुख्य (मेजर) विषय 2 - 6 क्रेडिट
3. माइनर इलेक्टिव पेपर - 6 क्रेडिट ( इसे SWAYAM PORTAL द्वारा भी किया जा सकता है )
4. व्यावसायिक / कौशल विकास कोर्स (Vocational / Skill Development Course)

Ist Semester & Vermicompost - 3 क्रेडिट

IInd Semester Mushroom farming cultivation - 3 क्रेडिट

IIIrd Semester organic Farming - 3 क्रेडिट

IVth Semester Basic Computer skill - 3 क्रेडिट

5. सह पाठ्यक्रम (co-curricular Course) - 2 क्रेडिट

#### Major/Minor विषयों का चुनाव

कुल दो मेजर विषयों एवं एक माइनर प्रश्न पत्र का चुनाव निम्न लिखित दो फैकल्टी से करना अनिवार्य है  
प्रथम - भाषा संकाय ( हिंदी , अंग्रेजी )

द्वितीय - कला मानविक एवं सामाजिक विज्ञान संकाय ( गृह विज्ञान , शारीरिक शिक्षा , राजनीति विज्ञान , समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र

## नोट:-

1. अभ्यर्थी अन्य जानकारी हेतु महाविद्यालय की वेबसाइट [www.mbdggdcanwalkheraagra.ac.in](http://www.mbdggdcanwalkheraagra.ac.in) का अवलोकन करते रहें।
2. अभ्यर्थिनी महाविद्यालय की साइट पर अपलोड डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत सत्र 2025-26 से अंगीकृत स्नातक / परास्नातक कार्यक्रमों / पाठ्यक्रमों के लिए अध्यादेश का अवलोकन अवश्य कर लें।

## नोट-

1. विद्यार्थी को प्रवेश के समय अपनी शैक्षणिक अर्हतानुसार एक संकाय (भाषा संकाय / कला, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय) का चयन करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (major) विषयों का चयन करना होगा | यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (own faculty) कहलाएगा | तीसरे मुख्य विषय तथा माइनर इलेक्टिव पेपर का चयन छात्र द्वारा इस प्रकार किया जाएगा की इनमे से कम से कम एक विषय अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो | विस्तृत सूचना के लिए महाविद्यालय / विश्वविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करें।
2. महाविद्यालय को संस्कृत व इतिहास विषय में स्थायी सम्बद्धता प्राप्त है किन्तु शासन से पद सृजन न होने के कारण विषयों का चयन की अनुमति नहीं है। पद सृजन हो जाने पर विषय लेने की अनुमति दे दी जायेगी।

## प्रवेश नियमावली

1. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु डॉ भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा का पंजीकरण, विश्वविद्यालय वेबसाइट [dbrau.org.in](http://dbrau.org.in) पर होना अनिवार्य है। इससे अभ्यर्थी को **पंजीकरण संख्या (SRN Number)** मिलेगा जिसको फॉर्म में भरना अनिवार्य होगा। इसके बिना अभ्यर्थी को प्रवेश हेतु अर्ह नहीं माना जायेगा। किसी अन्य विश्वविद्यालय के पंजीकरण से इस महाविद्यालय में प्रवेश संभव नहीं है।
2. बी.ए. प्रथम सेमेस्टर के सत्र 2026-27 के प्रवेश, अभ्यर्थी के दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त शैक्षणिक अंकों के आधार पर किये जायेंगे।
3. आवेदन पत्र के साथ 70/- (विवरणिका एवं पंजीकरण शुल्क) ऑनलाइन जमा करना होगा।
4. बी० ए० / एम० ए० प्रथम वर्ष में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्रों के पंजीकरण तथा शुल्क आदि जमा करके प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि डॉ. बी. आर. आम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा निर्धारित तिथि होगी।
5. चयन प्रक्रिया में आरक्षण का लाभ निम्नलिखित रूप में दिया जायेगा (1) सर्वोच्च मेरिट वाले अभ्यर्थियों का बिना श्रेणी का विचार किये खुली श्रेणी में प्रवेश दिया जायेगा। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की संख्या कुल रिक्त सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी
6. प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
7. महाविद्यालय के ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा फल वि.वि. द्वारा किसी कारणवश रोका गया है वे परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के अन्दर कक्षा में स्थान होने की स्थिति में प्रवेश ले सकेंगे।
8. प्रवेश के लिये इच्छुक समस्त अभ्यर्थी अंक पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करके प्रवेश हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय में अपना पंजीकरण करा सकेंगे।
9. सभी प्रवेश योग्यता के आधार पर दिये जायेंगे एवं समस्त सूचनार्थ महाविद्यालय की वेबसाइट एवं सूचना पट्ट पर चरपा की जायेगी। अतः छात्रार्थ वेबसाइट तथा सूचना पट्ट देखने की आदत अवश्य डालें।
10. जो अभ्यर्थी स्नातक की प्रथम/द्वितीय वर्ष तथा परास्नातक की प्रथम वर्ष की कक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुये हो और जो केवल एक विषय / प्रश्नपत्र में अनुत्तीर्ण है और उन्होंने पुनः परीक्षा के लिये आवेदन किया है वे क्रमशः बी० ए० द्वितीय/तृतीय एवं एम० ए० द्वितीय वर्ष की कक्षा में सशर्त प्रवेश ले सकेंगे उनका यह प्रवेश वि० वि० की हस्तपुस्तिका के अध्याय 25 के अध्यादेश 3ए० के पुनः परीक्षा के प्राविधानों के अन्तर्गत अनन्तिम होगी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उनका अनन्तिम प्रवेश नियमित माना जायेगा।

11. निर्धारित अवधि में शुल्क जमा नहीं करने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के स्थान पर प्रतीक्षा सूची में से प्रवेश दिया जायेगा। जिसकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिये मात्र दो दिन का समय दिया जायेगा क्योंकि प्रतीक्षा सूची के नाम की सूचना पहले ही दे दी जायेगी।
  12. स्नातक द्वितीय तथा तृतीय वर्ष एव एमए० उत्तरार्द्ध में विगत वर्ष की उत्तीर्ण छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।
  13. स्नातक/स्नातकोत्तर में व्यक्तिगत परीक्षा देने वाली वे छात्रायें जिनके पूर्व परीक्षा में 50% का या अधिक अंक है उन्हें अगली कक्षा में वि.वि. के अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति के उपरान्त प्रवेश दिया जा सकेगा।
  14. प्राचार्य को प्रवेश देने अथवा न देने का पूर्ण अधिकार होगा।
  15. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार दिये जायेंगे –
- क. विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई / अस्थाई रूप से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों से आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80% स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10 एवं 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू.पी. आगरा मण्डल तथा डॉ. बी. आर. आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सम्बद्ध महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो।
- ख. शेष 20% स्थानों पर अन्य संस्थानों से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5% विदेशी छात्र भी सम्मिलित हैं, यदि उनकी योग्यता ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।
- ग. शासनादेश संख्या जी.आई. 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों पर उक्त 20% स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।
- घ. भाग - 2 तथा 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग -1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी।

#### शैक्षिक अंकों की गणना

16. स्नातक कक्षायें - प्रवेश हेतु निम्नानुसार बनायी जायेगी -

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

**नोट** - विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनीवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त अंकों के 50 प्रतिशत अंक गणना में लिये जायेंगे।

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंक, जहाँ अनुमन्य हों, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल जोड़ 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

#### क. स्नातक कक्षायें - भारांक

1. क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 5 अंक
2. एन.सी.सी. 'सी' सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण क्रेडिटों को 8 अंक

#### अथवा

N.S.S के स्वयं सेवक जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है।

3. स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित) अथवा पौत्र / पौत्री 3 अंक

#### ख. सभी कक्षायें

1. डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त संस्थान के अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री 17 अंक
2. भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति / पत्नि, पुत्र-पुत्री (अविवाहित) 10 अंक
3. कारगिल ऑपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी :-

1. प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करेगा तथा यदि यह घोषणा गलत पाई गयी तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
2. लिस्ट घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

**नोट :-**

किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, जब तक सेवा में रहने का अधिकार था।

1. सामान्यतः स्नातक कक्षा में एक सेक्शन में 70 छात्रों को प्रवेश दिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में 10 अधिक सीटें प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा।
2. विशेष परिस्थिति में कुलपति को प्रवेश के लिए अनुमति प्रदान करने का अधिकार सुरक्षित होगा। संस्थागत छात्रों को किसी भी ऐसे विषय या प्रश्न पत्र लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी, जिसको महाविद्यालय में पढ़ाये जाने की व्यवस्था नहीं है अथवा जिसको विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गयी है।
3. प्रवेश हेतु नियमों का पालन किया जाना अनिवार्य है।
4. किसी भी छात्रा के प्रार्थना पत्र को विश्वविद्यालय को अग्रसरित नहीं किया जायेगा, अपितु प्राचार्य द्वारा ही नियमानुसार निर्णय लिया जायेगा।
5. पन्द्रह दिन निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्राचार्य द्वारा छात्रा का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
6. अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि वह महाविद्यालय में अपने प्रवेश के सम्बन्ध में निरन्तर सम्पर्क करती रहे और सूचना पट पर लगायी गयी सूचनाओं की अधिकाधिक जानकारी रखें किसी अभ्यर्थी को डाक द्वारा कोई सूचना / आवेदन पत्र नहीं भेजा जायेगा।

**ऐसे किसी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा**

1. जो अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्था में अनुशासनहीनता अथवा परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग के आरोप में दोषी पायी गयी हो।
2. यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में कोई फौजदारी मुकदमा चलाया जा चुका हो अथवा विचारधीन हो।  
अथवा वह किसी नैतिक अपराध में दण्डित हो।  
अथवा शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत हो।
3. अभ्यर्थी बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय की कोई अन्य परीक्षा उसी सत्र में दें रही हो।
4. शास्ता मण्डल की राय में अभ्यर्थी की गतिविधियाँ संदिग्ध रही हों।
5. बिना कारण बताये हुए भी किसी प्रवेशार्थी को प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।
6. प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सिफारिश प्रवेशार्थी की अयोग्यता मानी जायेगी।

**प्रवेश में विभिन्न वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था**

महाविद्यालय में विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के लिए प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार है।

1. अनुसूचित जाति	21 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति	2 प्रतिशत
3. पिछड़ा वर्ग	27 प्रतिशत
4. विकलांग	2 प्रतिशत

(छात्रा से स्वयं से सम्बन्धित वर्ग)

**आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए निर्देश**

1. विभिन्न वर्गों में आरक्षण का लाभ लेने वाली अभ्यर्थी जाति एवं आय प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही संलग्न करें। आवश्यक प्रमाण-पत्र बाद में स्वीकार नहीं होगा।
2. आय प्रमाण-पत्र 6 माह से पहले का नहीं होना चाहिए।
3. विकलांग अभ्यर्थियों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश में आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक है।

## महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विशेष निर्देश

1. स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी, जो अन्य महाविद्यालयों से स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण किये हैं, उनके लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। लेकिन उनके प्रवेश आवेदन पत्र पर तभी विचार किया जायेगा जबकि उस सत्र में सीटें उपलब्ध होंगी। इस स्थानान्तरण हेतु वि०वि० की अनुमति की आवश्यकता है।
2. आगरा विश्वविद्यालय आगरा की अधिसूचना संख्या शैक्षिक /52/1994-95 दिनांक 2-3-95 के अनुसार सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन, नई दिल्ली द्वारा सम्पादित 10+1 परीक्षा उत्तीर्ण आगरा विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त नहीं है। अतः उक्त संस्था से उत्तीर्ण किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

## प्रवेश आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु ऑनलाइन फार्म भरा जाएगा।
2. महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की प्रवेश समिति में पारित प्रवेश नियमावली के आधार पर सम्पन्न होगी।
3. आवेदन-पत्र भरने से पूर्व निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। गलत प्रविष्टियों के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
4. आवेदन कर्ता अपना मोबाइल नम्बर स्पष्ट रूप से अंकित करें। इसमें त्रुटि होने पर आगे की सूचनाएं बाधित हो जाएंगी।
5. अभ्यर्थी अपना नाम एवं जन्मतिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार सही - सही भरें। अभ्यर्थी का जन्मतिथि ही उसका Password होगा। जन्मतिथि गलत होने पर आगे की कार्यवाही स्वयं बाधित हो जाएगी।
6. प्रवेश आवेदन करते समय मोबाइल नम्बर, जन्मतिथि, एवं अधिभार (weightage) तथा श्रेणी सही - सही भरें क्योंकि save करने के पश्चात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा।
7. प्रवेश आवेदन फार्म Final submit करने के पश्चात कोई सुधार संभव नहीं होगा। अतः फाइनल सबमिट से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हों कि भरी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।
8. अंतिम रूप से आनलाइन भरे गए आवेदन फार्म के पश्चात निर्धारित प्रवेश पंजीकरण शुल्क ` 50 (पचास रूपए मात्र) आनलाइन जमा करें तथा उसका print receipt प्राप्त कर लें। रसीद निर्गत होने के पश्चात ही आप द्वारा भरा गया प्रवेश आवेदन फार्म अंतिम रूप से मान्य होगा। पंजीकरण शुल्क स्थानान्तरणीय नहीं है तथा किसी भी परिस्थिति में इसका समायोजन संभव नहीं है।
9. शुल्क भुगतान निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म होना चाहिए। यदि आपका पेमेन्ट सफल हो जाता है किन्तु निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कन्फर्म नहीं होता है तो आपका आवेदन निरस्त माना जाएगा।
10. उपरोक्त सूचनाओं की अनदेखी और लापरवाही से आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि अभ्यर्थी को प्रवेश से वंचित कर सकती है जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. स्नातक प्रथम सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश योग्यता प्रदायी परीक्षा में प्राप्त अंको में अधिभार (यदि कोई हो) को जोड़ने के पश्चात सूची बनाकर किया जाएगा।
12. प्रवेश के समय ऑनलाइन आवेदन फार्म की एक प्रति, सूची के आधार पर निर्गत काउन्सिलिंग पत्र, एक नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपेक्षित समस्त अंक पत्रों/प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ संलग्न करके लाना अनिवार्य है। काउन्सिलिंग के समय संलग्न छायाप्रतियों के मूल प्रमाण पत्रों को भी लाना अनिवार्य है।
13. वर्ष 2021 के पूर्व इण्टर्मीडिएट / समकक्ष परीक्षा अभ्यर्थी किसी भी स्नातक कक्षा में सत्र 23-24 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।
14. प्रवेश के समय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (टी.सी.), प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) एवं चरित्र प्रमाण पत्र (सी.सी.) मूलरूप में जमा करना होगा।
15. आरक्षित सीटें रिक्त रहने पर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार भरी जाएंगी।
16. आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही मिलेगा।

17. आरक्षित वर्ग से सम्बन्धित छात्रायें प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करें, अन्यथा उन्हें सामान्य वर्ग में माना जायेगा और उन्हें प्रवेश में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

#### **आवश्यक संलग्नक**

मूल अभिलेख साक्षात्कार के समय लाना अनिवार्य है। निम्न प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

1. जन्मतिथि के लिए हाईस्कूल का सत्यापित प्रमाण-पत्र |
2. हाईस्कूल तथा इंटरमीडिएट के सत्यापित अंक पत्र (स्नातक) प्रथम वर्ष के प्रवेशार्थी संलग्न करें।
3. स्नातक प्रथम वर्ष की सत्यापित अंक तालिका स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रवेशार्थी संलग्न करें।
4. पिछड़ी जाति /अनुसूचित /अनु०जनजाति के प्रवेशार्थी जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें।
5. अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति प्रवेशार्थी को सत्यापित नवीनतम् आय प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना होगा।
6. महाविद्यालय में प्रथम बार नया प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को अन्तिम संस्था से प्राप्त मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। प्रवेश आवेदन पत्र जमा करते समय यदि किसी कारण वश स्थानान्तरण पत्र उपलब्ध न हो तो साक्षात्कार के समय प्रस्तुत किया जा सकता है।
7. समस्त नये प्रवेशार्थी अन्तिम संस्था से प्राप्त चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्राप्त प्रति जमा नहीं करता है। तो वह किसी राजपत्रित अधिकारी, सांसद, विधायक आदि से प्राप्त नवीनतम् (6 माह से अधिक पुरानी नहीं) मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
8. यदि कोई अभ्यर्थी किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरण होकर डॉ० बी०आर० आम्बेडकर से सम्बद्ध इस महाविद्यालय में प्रवेश चाहता है तो वह विगत विश्वविद्यालय से प्राप्त प्रवचन प्रमाण-पत्र संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।
9. अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा से गैप होने की दशा में नोटरी द्वारा प्रदत्त एफिडेविट (शपथपत्र) देना अनिवार्य है।

### शुल्क विवरण

स्नातक	शुल्क
बी .ए (प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर )	4564 /-
बी .ए (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर )	3964 /-
बी .ए (पंचम और षष्ठम सेमेस्टर )	3464 /-
<b>स्नातकोत्तर</b>	
एम ए (प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर )	5898 /-
एम ए (तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर )	5448 /-

### महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर में कुल सीटों की संख्या

स्नातक	सीट
बी० ए	420 प्रति वर्ष
<b>स्नातकोत्तर</b>	
एम० ए (समाजशास्त्र )	60 प्रति वर्ष
एम० ए (राजनीति विज्ञान )	60 प्रति वर्ष
एम० ए (हिंदी )	60 प्रति वर्ष
एम० ए (अंग्रेजी )	60 प्रति वर्ष
एम० ए (गृह विज्ञान )	60 प्रति वर्ष
एम० ए (अर्थशास्त्र )	60 प्रति वर्ष

### पुस्तकालय सुरक्षा निधि/गृह विज्ञान कौशलमनी

प्रवेश के समय प्रत्येक छात्रा से पुस्तकालय सुरक्षा निधि तथा गृह विज्ञान कौशलमनी के रूप में निश्चित धनराशि जमा करायी जायेगी । यदि कोई छात्रा पुस्तकालय की पुस्तक खो देती है अथवा क्षति पहुँचाती है तो उक्त राशि का समायोजन पुस्तक के मूल्य में कर दिया जायेगा । किसी भी छात्रा को सुरक्षा निधि (कौशलमनी) तब तक नहीं लौटाई जायेगी जब तक वह इसकी माँग नहीं करेगी ।

नोट-

क. विश्व विद्यालय द्वारा किसी भी शुल्क में परिवर्तन करने से बढ़ा हुआ शुल्क जमा करना होगा ।

ख. कोर्स पूर्ण होने के बाद सुरक्षा निधि/कॉशनमनी की वापिसी प्रार्थना पत्र देने पर ही की जायेगी ।

### शास्ता - मण्डल एवं तत्सम्बन्धित आचरण संहिता

महाविद्यालय में छात्राओं की देख-रेख करने, प्रशासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं प्रत्येक छात्रा को स्वतः अनुशासनबद्ध ढंग से रहने की प्रेरणा देने के लिए शास्ता मण्डल का गठन किया जाता है जिसके प्रत्येक नियम एवं आचार संहिता के अनुसार आचरण करना प्रत्येक छात्रा का अनिवार्य कर्तव्य है। जो छात्रा इन नियमों का उल्लंघन कर शास्ता-मण्डल के निर्देश का अनुपालन नहीं करेगी, उस छात्रा को शास्ता मण्डल की संस्तुति पर प्राचार्य कभी भी महाविद्यालय से निष्कासित कर सकते हैं। पंजीकरण के पश्चात् प्रत्येक छात्रा को शास्ता मण्डल के नियम एवं निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है। ये नियम निम्नवत् है

1. प्रवेश पंजीकरण के पश्चात् शास्ता मण्डल प्रत्येक छात्रा को एक परिचय-पत्र निर्गत करेगा। जिसे उन्हें महाविद्यालय आते समय परिसर में तथा कोई यात्रा करते समय सदैव गले में पहनना अनिवार्य है।
2. समय समय पर छात्राओं के परिचय पत्रों का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के समय परिचय पत्र न पाये जाने पर उन्हें आर्थिक दण्ड दिया जा सकता है अथवा कोई अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
3. यदि कोई छात्रा महाविद्यालय परिसर अथवा कक्षा में किसी बाहरी व्यक्ति अथवा अवांछनीय तत्वों को लाती है तो उसे दण्डित किया जायेगा।
4. किसी छात्रा द्वारा महाविद्यालय परिसर में अस्त्र-शस्त्र लेकर आने पर उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है या दण्डित किया जा सकता है।
5. कक्षा में ऐसी कोई अव्यवस्था उत्पन्न करने पर जिससे अध्ययन-अध्यापन में व्यवधान उत्पन्न होता है सम्बन्धित दोषी छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
6. अपने विषय के अतिरिक्त किसी अन्य विषय की कक्षा में किसी भी छात्रा को बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
7. ध्यान रहे समस्त छात्राओं का प्रवेश अस्थायी रूप से किया जायेगा। प्रवेश पंजीकरण के बाद छात्रा के क्षेत्र से सम्बन्धित थाना प्रभारी अथवा पूर्व संस्था के प्राचार्य से अवांछनीयता और अनुशासनहीनता की सूचना मिलने पर उस छात्रा का प्रवेश तुरन्त निरस्त कर उसे महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
8. महाविद्यालय की प्रगति और विकास में योगदान करना प्रत्येक छात्रा का दायित्व है। उस परिप्रेक्ष्य में यदि कोई छात्रा महाविद्यालय की सम्पत्ति नष्ट करती है, सौन्दर्य को विनष्ट करती है (फूल तोड़ना, जहाँ तहाँ गन्दगी फैलाना, महाविद्यालय एवं वाचनालय में शोर करती है। कक्षा में अशान्ति फैलाती है, रिक्त वादन में ब्लैक बोर्ड पर चौक आदि से अनावश्यक रूप से लिखती है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। महाविद्यालय की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय, वाचनालय आदि की सुव्यवस्था, सुरक्षा और स्वच्छता योगदान करना प्रत्येक छात्रा का कर्तव्य है। इसके विपरीत वह किसी दुष्प्रवृत्ति में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न तो भाग लेगी और न दूसरों को उकसायेगी।
9. महाविद्यालय की समस्त परीक्षाओं में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने में प्रत्येक छात्रा अपना पूरा सहयोग देगी। बिना आचार्य की अनुमति के वह कक्षा अथवा परीक्षा में अनुपस्थित नहीं होगा।
10. कोई भी छात्रा महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान व मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेगी।
11. प्रत्येक छात्रा दलगत राजनीति आन्दोलन, हिंसात्मक कार्यवाही में भाग नहीं लेगी और न ही अन्य किसी को उकसायेगी। अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में विनम्रता पूर्वक प्राचार्य या गुरुजन के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। इसके लिए वह राजनीतिक कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों आदि का माध्यम नहीं अपनायेगी।
12. जो छात्रा किसी प्रकार के अनैतिक आचरण की दोषी पाई जायेगी, उन्हें विद्यालय से शुल्क मुक्ति, पुस्तकालय सहायता, छात्रवृत्ति, निर्धन छात्र सहायता, बुक बैंक आदि की सहायता नहीं दी जायेगी। यदि सुविधा मिल चुकी होगी तो तत्काल समाप्त कर दी जायेगी। ऐसी छात्रायें किसी परिषद आदि की पदाधिकारी भी नहीं रह सकेंगी।
13. परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करना अथवा अन्य सहयोग देना गम्भीर दुराचरण है।

14. महाविद्यालय परिसर में साइकिल अथवा अन्य कोई वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है। साइकिलें साइकिल स्टैण्ड पर ही ताला लगाकर खड़ी करें।
15. रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। कोई भी छात्र भी रैगिंग करने में संलिप्त पायी जाती है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और महाविद्यालय से निष्कासित कर दिया जायेगा।
16. महाविद्यालय में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ तथा महिला प्रकोष्ठ गठित है जिसमें शिकायत प्राप्ति पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

### **पुस्तकालय एवं वाचनालय**

महाविद्यालय में अध्यापित समस्त विषयों की पुस्तकों का एक पुस्तकालय है। छात्राये पुस्तकालय से एक बार में दो पुस्तकों को प्राप्त कर सकती हैं। ये पुस्तकें उसे 14 दिन के लिए निर्गत की जायेगी। कोई भी छात्रा अपने पास किसी भी दशा में दो से अधिक पुस्तकें रखने की अधिकारी नहीं है। पुस्तकों को किसी भी प्रकार की क्षति होने पर पृष्ठ गायब करने अथवा खो जाने पर उसकी पूर्ति का दायित्व सम्बन्धित छात्रा पर होगा। पुस्तक को समय पर न लौटाने पर प्रति पुस्तक प्रतिदिन की दर से 01 रुपये आर्थिक दण्ड देना होगा। यदि छात्रा से पुस्तक खो जाती है तो उसका उस समय का मूल्य उस छात्रा को जमा करना पड़ेगा। प्रत्येक छात्रा का परीक्षा से पूर्व पुस्तक जमा करना अनिवार्य है। पुस्तकें जमा न करने पर पुस्तकों का उस समय का मूल्य जमा करना होगा। सन्दर्भ ग्रन्थ यथा शब्दकोष, विश्वकोष आदि का निर्गमन किसी छात्रा को नहीं किया जायेगा।

पुस्तकालय से संलग्न एक वाचनालय है। जिसमें छात्राओं को शोध-पत्रिकाओं विविध विषयक पत्रिकाओं, विविध मासिक-पाक्षिक, साप्ताहिक एवं दैनिक पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने की व्यवस्था है। छात्राये अपने रिक्तवादन में पत्र-पत्रिकाओं को वाचनालय में बैठकर ही पढ़ सकती है। पत्र-पत्रिकाओं को कक्षा में ले जाने अथवा परिसर में ले जाने की अनुमति नहीं है। सन्दर्भ ग्रन्थों की तरह पत्र-पत्रिकाओं का निर्गमन किसी छात्रा के नाम नहीं किया जाता है।

### **महाविद्यालय-गणवेश (College Uniform)**

सभी छात्राओं को सादगी व शालीनतापूर्वक रहने के उद्देश्य से महाविद्यालय में निर्धारित गणवेश है। गणवेश का रंग स्नातक स्तर पर ग्रे परास्नातक स्तर पर भूरा रहेगा।

### **छात्रवृत्ति**

जिला एवं समाज कल्याण विभाग एवं जिला पिछड़ा वर्ग विभाग जाति एवं आय के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग तथा सामान्य वर्ग की निर्धन एवं योग्य छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त महाविद्यालय की निर्धन छात्राओं की सहायताार्थ निर्धन छात्रा सहायता कोष की भी व्यवस्था है। शुल्क मुक्ति, विविध छात्रवृत्तियाँ, विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क मुक्ति तथा पुस्तकालीय सहायता द्वारा विद्यार्थी कल्याण की योजना प्रदान की जाती है। समय-समय पर विभिन्न रोजगार सम्बन्धी सूचनाओं से अवगत कराने के लिए छात्राओं से सम्पर्क किया जाता है।

### **समारोह आयोजन**

छात्राओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में प्रतिवर्ष विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों और अन्य समारोहों का आयोजन समय समय पर किया जाता है। स्वाधीनता दिवस, शिक्षक दिवस, गाँधी जयन्ती, हिन्दी दिवस, मानव अधिकार दिवस, गणतन्त्र दिवस, शहीद दिवस, कौमी एकता सप्ताह, युवा सप्ताह, तथा वार्षिक पुरस्कार वितरण आदि प्रमुख समारोह है। महाविद्यालय की छात्राये इन समारोहों में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करती है, विभिन्न विजयी प्रतियोगियों को पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्धन किया जाता है।

### **पाठ्यक्रम सहभागी एवं पाठ्येत्तर कार्यकलाप**

### **राष्ट्रीय सेवा योजना (एन०एस०एस०)**

छात्राओं के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना की दो इकाई महाविद्यालय में अक्टूबर 1997 से कार्यरत हैं। इसके अन्तर्गत एक वर्ष में दो सौ छात्राये पंजीकृत की जाती हैं। प्रत्येक छात्रा को एक वर्ष में 120 घण्टे कार्य तथा दस दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य है। दो वर्ष की अवधि में 240 घण्टे कार्य और एक विशेष शिविर में भाग न लेने पर छात्रा को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रमाण-पत्र का लाभ उच्च कक्षाओं एवं बी०एड० आदि के प्रवेश व राजकीय सेवाओं में मिलता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी महाविद्यालय के योजना अधिकारी से की जा सकती है।

### **विभागीय परिषदें**

महाविद्यालय में विभिन्न विषयों के ज्ञानार्जन के लिए अतिरिक्त अन्य रचनात्मक कार्यकलापों में रुचि बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों की परिषदों का गठन किया जाता है। इनके अन्तर्गत समय समय पर भाषण निबन्ध, कहानी, कविता, किचज तथा वाद-विवाद प्रतियोगितायें आयोजित की जाती है। परिषदों के पदाधिकारी और विजयी प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र व पुरस्कार दिये जाते हैं।

### **महाविद्यालय पत्रिका**

महाविद्यालय पत्रिका के माध्यम से छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाता है। स्तरीय लेख, कहानी, कविता का प्रकाशन इस पत्रिका में किया जाता है।

### **परीक्षा**

महाविद्यालय की समस्त पंजीकृत छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य है, जो छात्राये परीक्षा में सम्मिलित नहीं होगी, उनको पुनः महाविद्यालय में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। महाविद्यालय में समय-समय सम्बन्धित विषयों के अध्यापकों द्वारा आंतरिक परीक्षा/टेस्ट लिये जाते रहेंगे। छात्राओं की 75% उपस्थिति अनिवार्य है अन्यथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा।

### **रेंजर्स इकाई**

महाविद्यालय में भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में दो रेंजर्स इकाईयाँ पंजीकृत है। इसके अन्तर्गत गाइडिंग से सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रवेश, निपुण प्रमाण पत्रों के लिए शिविर आयोजित किये जाते हैं। आत्मानुशासन एवं स्वावलम्बन का प्रशिक्षण दिया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर की रेंजर्स प्रतियोगिताओं में सहभाग कराया जाता है।

### **निर्धन छात्रा सहायता कोष**

महाविद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित नियमानुसार निर्धन छात्राओं को निर्धन छात्रा सहायता कोष में सुविधा प्रदान की जाती है।

### **वोकेशनल कोर्स**

नई शिक्षा के अंतर्गत विश्वविद्यालय की वोकेशनल कोर्सेज की सूची में क्रमांक 035 पर अंकित "वर्मी कम्पोस्टिंग" तथा क्रमांक 084 "मशरूम उत्पादन" का अध्ययन माँ गायत्री शक्तिपीठ के सहयोग से कराया जाता है।

### **रोजगार निर्देशन प्रकोष्ठ**

महाविद्यालय में रोजगार निर्देशन प्रकोष्ठ द्वारा समय-समय पर छात्राओं को रोजगारपरक बनाने हेतु कार्यशाला /संगोष्ठी/प्रदर्शिनी/मेला इत्यादि का आयोजन किया जाता है। विभिन्न विभागों में निकलने वाली भर्ती/विज्ञापनों से छात्राओं को नियमित रूप से अवगत कराया जाता है।

### **आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ**

आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के द्वारा महाविद्यालय की गुणवत्ता उन्नयन हेतु कार्यशाला/संगोष्ठी/विभिन्न दिवसों का आयोजन कराया जाता है। महाविद्यालय शिक्षण एवं शोध उन्नयन हेतु निरंतर कार्यरत है।